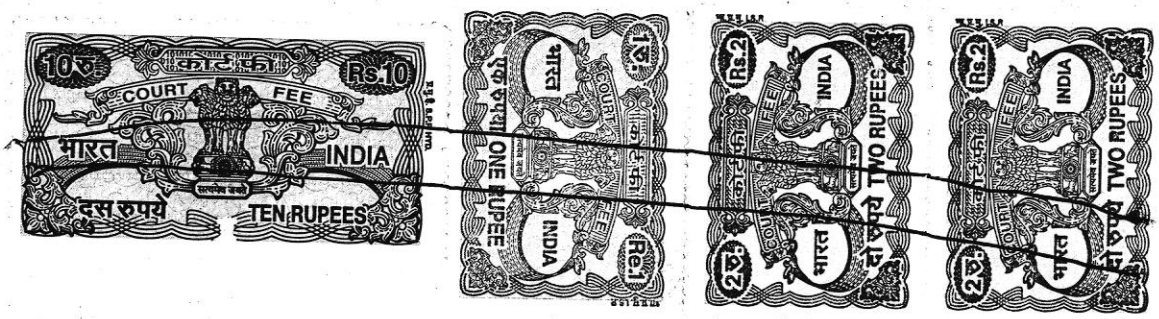

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /14 जिला–छतरपुर रिव्यू 3226-III/14

1. घूराम तनय श्री तिजई यादव
2. कल्याण सिंह तनय श्री स्व. जंगी सिंह
3. रामेश्वर सिंह तनय स्व. श्री जंगी सिंह
4. धर्मजीत सिंह तनय स्व. श्री जंगीसिंह सभी निवासी ग्राम दौनी तहसील नौगॉव जिला – छतरपुर (म.प्र.)

-- आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 23.9.14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23.9.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती नौनी दुलैया पत्नी स्व. श्री बैजनाथ यादव निवासी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं गनेश मन्दिर के पास नौगॉव जिला–छतरपुर
2. मध्य प्रदेश शासन

-- अनावेदकगण

23/9/14

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1620–तीन/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04.08.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनर्विलोकन निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले का संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम दौनी तहसील नौगॉव जिला – छतरपुर की नामान्तरण पंजी क्रमांक 10 वर्ष 2007–08 में सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12. 2007 के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 230/अ–6/2011–12 दिनांक 06.09.2012 को प्रस्तुत की गयी तथा उस अपील ज्ञापन के साथ ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3226–तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–03–15	आवेदक अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1620–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 4–8–14 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	